14-9-21

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष एवं सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। वाद का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

मो० सुदामा पति–स्व० कामेश्वर दास एवं अन्य 13 सभी साकिन–कपेटा, थाना बसंतराय, जिला–गोड्डा के द्वारा पथरगामा अंचल के नामान्तरण वाद संख्या–09/2016–17 में अंचल अधिकारी, पथरगामा द्वारा दिनांक–14.05.2016 को नामान्तरण संबंधी पारित आदेश को रद्द करने हेतु नामान्तरण (म्यूटेशन) अपीलवाद हेतु दिनांक–07.11.2019 को आवेदन दाखिल किया गया है। साथ ही कालबाधित अपील अवधि को The Limitation Act, 1963 की धारा–5 के तहत condone करते हुए अपील सुनने हेतु लिखित अनुरोध किया गया है।

मामला अंचल–पथरगामा (अब बसंतराय) के मौजा–कपेटा, थाना नम्बर–82 के जमाबंदी नम्बर–71 के अधीन दाग नम्बर–112 रकवा–01–04–19 धूर एवं दाग नम्बर–493 रकवा–04–05–15 धूर कुल रकवा–05–10–14 धूर जमीन सत्यानारायण पासवान पेसर–शुकदेव हाजरा, साकिन–कपेटा, थाना–बसंतराय, जिला–गोड्डा के नाम से अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–09/2016–17 में दिनांक–14.05.2016 को किये गये नामान्तरण संबंधी आदेश के विरूद्ध अपीलवाद है।

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–कपेटा थाना नम्बर–82 के जमाबंदी नम्बर–71 जिसका कुल रकवा 05 बीघा 10 कट्ठा एवं 14 धूर है, जिसको प्रतिवादी द्वारा निचली अदालत में गलत सूचना देकर सम्पूर्ण जमीन का नामान्तरण अपने नाम से करा लिया गया है। प्रतिवादी द्वारा नामान्तरण आवेदन में यह कहा गया है कि उक्त भूमि उन्हें चौकीदारी चकराना के रूप में मिला है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त जमीन आवेदक एवं प्रतिवादी को एक ही पूर्वज सुकदेव हाजरा से विरासत में मिली है, जिन्होंने पूर्व में ही दखल अधिकार प्राप्त किया था। इसलिए प्रतिवादी को उक्त भूमि चौकीदारी जागीर के रूप में मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा उक्त नामान्तरण वाद में दिनांक–14.05.2016 को मौजा कपेटा के 16 आना रैयान के नाम निर्गत नाटिस का तामिला केवल पाँच रैयतों को कराया गया, जिसमें आवेदकगण शामिल नहीं है, जिसकारण आवेदकगण को उक्त नामान्तरण वाद संबंधी कोई जानकारी नहीं मिल पाई और आपत्ति का अवसर नहीं मिल पाया। आवेदकगण को इसकी जानकारी तब हुई जब अंचल अधिकारी, बसंतराय के द्वारा उक्त नामान्तरण के आधार पर दखल–देहानी वाद संख्या–02/2019–20 में आवेदकगण को नोटिस तामिला कराया गया। इसके बाद उक्त नामान्तरण वाद के अभिलेख आदि का नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक–28.08.2019 को आवेदन दिया गया, जिसकारण अपील आवेदन दाखिल करने में विलम्ब हुआ।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा कि वास्तव में, प्रश्नगत भूमि मौजा–कपेटा थाना नम्बर–82 के जमाबंदी नम्बर–71 जिसका कुल रकवा 05 बीघा 10 कट्ठा एवं 14 धूर है, जो गैंजर सर्वे खतियान में बंशी हाजरा उर्फ बंशी दुसाध पेसर–दाऊ हाजरा के नाम से चौकीदारी चकराना के रूप में दर्ज है। बंशी हाजरा कपेटा मौजा के तत्कालीन चौकीदार थे और उक्त भूमि उन्हें चौकीदारी चकराना के रूप में मिला था। बंशी हाजरा (चौकीदार) की मृत्यु के बाद उनका पुत्र पचकौड़ी हाजरा मौजा–कपेटा का चौकीदार बना और उक्त भूमि चौकीदारी चकराना के रूप में पचकौड़ी हाजरा के दखल में ही रहा। पचकौड़ी हाजरा के देहान्त के बाद उनका पुत्र सुकदेव हाजरा चौकीदार बना एवं उक्त भूमि पर सुकदेव हाजरा दखलकार

हुआ तथा उक्त भूमि लगातार सुकदेव हाजरा एवं उनके वंशज के दखल में रहा। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–6 के द्वारा उक्त चौकीदारी चकराना भूमि सरकार के अधीन नहीं किया गया है, जिसकारण सुकदेव हाजरा के आवेदन पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के लगान निर्धारण वाद संख्या–07/1985–86 के द्वारा उक्त भूमि जमीन्दारी प्रथा उन्मूलन के समय से ही सुकदेव हाजरा के साथ बंदोबस्त करते हुए लगान निर्धारित किया गया एवं उस समय से उक्त भूमि की प्रकृति चौकीदारी चकराना से परिवर्तित होकर जमाबंदी भूमि हो गया तथा उसी अनुरूप पंजी II में भी प्रविष्टि अचंल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा किया गया एवं सुकदेव हाजरा के नाम से लगान रसीद भी निर्गत किया गया है। सुकदेव हाजरा अपनी पत्नी मो० कलावती एवं छः पुत्र क्रमशः (1) कामेश्वर दास (2) भूदेव पासवान (3) सिकन्दर पासवान (4) महिन्द्र पासवान (5) प्रकाश पासवान (6) सत्यनारायण पासवान तथा एक अविवाहित पुत्री को छोड़कर दिनांक–03.11.1995 को स्वर्गवास हो गए। सुकदेव हाजरा के देहान्त के बाद उनके पुत्र गहेन्द्र पासवान एवं उनकी माँ एवं भाई का भी देहान्त संयुक्त परिवार में ही हो गया है। बाद में सुकदेव हाजरा के वंशजों की संख्या अधिक हो जाने के कारण संयुक्त परिवार के रूप में रहने में कठिनाई के कारण सभी अलग–अलग रहने एवं उक्त पैतृक भूमि का बटवारा करने पर सभी सहमत हुए एवं पंचनामा के माध्यम से दिनांक–25.01.1998 को उक्त पैतृक भूमि का सभी हिस्सेदारों में बराबर रूप से बाँटा गया, जिसपर पंचों एवं सभी पक्षों का हस्ताक्षर/टीपनिशान है जिसमें प्रतिवादी का भी हस्ताक्षर शामिल है। इसके बाद से ही सभी पक्ष अपने–अपने हिस्से पर दखलकार हुए एवं कृषि आदि कार्य करते रहे हैं। इस तरह उक्त भूमि पूर्वज सुकदेव हाजरा से विरासत में प्रतिवादी सहित आवेदकगण को मिला है न कि प्रतिवादी को चौकीदारी जागीर के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–09/2016–17 में उक्त भूमि चौकीदारी जागीर के रूप में प्राप्त होने का दावा किया गया है, जो गलत है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा भी उक्त भूमि का नामान्तरण चौकीदारी जागीर के रूप में मिली जमीन के रूप में की गई है जो सत्य नहीं है। नामान्तरण वाद में जमीन प्राप्ति का आधार ही गलत दर्शाया गया है जिसकारण अंचल अधिकारी, पथरगामा का नामान्तरण संबंधी उक्त आदेश अवैध है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–09/2016–17 में दिनांक–14.05.2016 को पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

वहीं द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि चूँकि यह अपील कालबाधित है। निर्धारित समयावधि में अपील दाखिल नहीं किया गया है इसलिए आवेदक के अपील आवेदन को सुनने योग्य नहीं है, खारिज किया जाए। साथ ही द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रतिवादी वर्तमान में मौजा–कपेटा का चौकीदार है एवं उन्हें उक्त भूमि चौकीदारी जागीर के रूप में मिला है। इसलिए अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पारित नामान्तरण आदेश वैध है।

The Limitation Act,1963 की धारा–5 में निहित प्रावधानों के तहत अपील हेतु कालबाधित अवधि के condonation की स्वीकृति देते हुए सभी पक्षों को सुना।

अंचल अधिरकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–09/2016–17 में नामान्तरण का कारण चौकीदारी बहाली केस संख्या–95/1998 से आवेदक को चौकीदारी जागीर के रूप में प्राप्त भूमि उल्लिखित है, परन्तु प्रतिवादी को उक्त भूमि चौकीदारी जागीर में प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है। अभिलेख

में यह अभिलेखित किया गया है कि प्रस्तावित जमीन का लगान धार्य सुकदेव हाजरा पेसर–पचकौड़ी हाजरा के नाम से हुआ है। आवेदक सत्यनारायण पासवान, सुकदेव हाजरा का पुत्र है जो चौकीदार के पद पर कार्यरत है एवं उनका उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा दिनांक–29.04.2016 को 16 आना रैयान के नाम निर्गत नोटिस किस तिथि को तामिला कराया गया, के संबंध में स्पष्ट तामिला प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। उक्त नोटिस तामिला के बाद आदेश पारित के पूर्व आपत्ति हेतु पक्षों को निर्धारित अनुमान्य समय दिया गया है अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं है।

द्वितीय पक्ष अर्थात् प्रतिवादी के द्वारा उक्त नामान्तरित भूमि चौकीदारी जागीर के रूप में प्राप्त करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त भूमि चौकीदारी जागीर के रूप में प्राप्त करने संबंधी साक्ष्य प्राप्त किये ही अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश प्रतिवादी के पक्ष में पारित किया गया है जो विधि के अनुरूप नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–09/2016–17 में दिनांक–14.05.2016 को किये गये नामान्तरण आदेश को रद्द किया जाता है। तद्नुसार आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करावें एवं इसकी एक प्रति ई–कोर्ट के विभागीय पोर्टल (वेबसाइट) पर अपलोड करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

14.9.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

14.9.24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

Digitally signed by MITHILESH KUMAR CHOUDHARY
Date: 2024.09.04 15:48:11 +05:30
Location: 192.168.29.124